

प्रेस नोट थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर दिनांक 11.02.2024

अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब के निष्कर्षण व बिक्री के आरोप में 01 नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अवैध शराब के निष्कर्षण एवं बिक्री से संबंधित अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक गुलरिहा के नेतृत्व में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1085/2023 धारा 60 आबकारी अधि0 व 272 भादवि से संबंधित वांछित अभियुक्त दीपचन्द निषाद पुत्र स्व0 गोबरी निवासी सरैया बाजार थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर को 10 ली0 अपमिश्रित अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 112/24 धारा 60 आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

दीपचन्द निषाद पुत्र स्व0 गोबरी निवासी सरैया बाजार थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0- 1085/2023 धारा 60 आबकारी अधि0 व 272 भादवि0 थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0- 112/2024 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर

बरामदगी

10 ली0 अपमिश्रित अवैध कच्ची शराब

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. प्र0नि0 शशिभूषण राय थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 छितेश्वर थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर
3. हे0कां0 अमरनाथ थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर
4. कां0 पवन प्रसाद थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर